

राजस्व
राजस्व (ग्रुप-०) ग

क्रमांक - प. 15(5)राज-६/१५

जयपुर, दिनांक :- २६.२.७५

निबन्धक,
राजस्व निष्ठा,
राजस्थान, अजमेर।


समरत जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषय :— पासबुकों को अधिकार अभिलेख का दर्जा दिए जाने के संबंध में।

विधि विभाग ने कानूनी राय दी है कि राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे, रिकॉर्ड तथा सैटलमेंट) (सरकारी) नियम, 1957 के नियम 23 के खण्ड (iii) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पासबुक एक अधिकार अभिलेख है।

राजस्थान पासबुक (कृषि जोत) अधिनियम, 1983 की धारा 5 की उपधारा (2) से भी यह स्पष्ट है कि पासबुक को रिकार्ड ऑफ राइट्स का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे, रिकॉर्ड तथा सैटलमेंट) (सरकारी) नियम, 1957 के नियम 23 सपष्टित भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 114 तथा उक्त अधिनियम, 1983 के अनुसार पासबुक एक अधिकार अभिलेख हैं।



उप शासन सचिव
राजस्व (ग्रुप-६) विभाग